न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज दिलीप सिंह बनाम रामकिशोर मु.नं. 26/24 (टी.ए)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रल पाद के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड़ अधिकारी मंडावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
26/24	23.05.24	28.03.25

बउनवान

1. दिलीप सिंह पुत्र अमरसिंह, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. धर्मसिंह पुत्र अमरसिंह, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. प्रियंका पुत्री अमरसिंह, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. संगीता पुत्री अमरसिंह, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र जगनप्रसाद, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. उपपंजीयक बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रीतम चन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री बी. एल. शर्मा, श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 1587/698 रकबा 1.67 हैक्टे., 1589/702 रकबा 0.02 हैक्टे. एवं 698/1407 रकबा 0.01 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 1.70 हैक्टे. वाके ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के बाबा रामकिशोर पुत्र जगनप्रसाद का 79/225 हिस्सा मौजूद जमाबंदी है तथा शेष हिस्सा वादपत्र वर्णित अप्रार्थी सं. 1 लगायत 11 का जमाबंदी के हिस्सानुसार है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के बाबा रामकिशोर की पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की भूमि अप्रार्थी सं. 1 जो कि प्रार्थीगण का बाबा है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पौत्र है जिनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है–

रामकिशोर पुत्र जगनप्रसाद

↓

अमरसिंह (पुत्र)

↓

दिलीप सिंह (पौत्र) | धर्मसिंह (पौत्र) | प्रियंका (पौत्री) | संगीता (पौत्री)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पत्ति में पौत्र, पडपौत्र, पडपौत्री के जन्म लेते ही अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पौत्र है, इस कारण विवादित आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 सह–हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है और अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में दर्ज 79/255 में अपने–अपने हिस्से पर अपना नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। सह–हिस्सेदार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की उद्घोषणा बहक प्रार्थीगण जारी कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम से दर्ज भूमि पैतृक अविभाजित सम्पत्ति है, इस कारण प्रार्थीगण विवादित आराजी का सरस निरस के हिसाब से तकास्मा कराकर अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से 79/255 में अपने अपने हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम कराने के अधिकारी हैं व लगान का भी इसी प्रकार बंटवारा करवाकर अपने नाम से अलग से पास बुकें जारी करवाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम से हो रही गलत खातेदारी की आड में लोगों को विवादित आराजी को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है और काफी लोगों से रकम उधार ले चुका है, अब शीघ्र ही बयनामा पंजीकृत कराने की तैयारी में लगा हुआ है। प्रार्थीगण के पास अपना जीवन निर्वाह के लिये विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया तो खरीददार जो प्रार्थीगण के परिवार से अलग किस्म का अजनबी व्यक्ति होगा, वह बाद तस्दीक बयनामा विवादित आराजी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। प्रार्थीगण उसको कब्जा करने से रोकेगें तो मौके पर संगीन वारदात होकर जनहानि होने की संभावना पैदा हो जावेगी व प्रार्थीगण बर्बाद हो जावेगें। प्रार्थीगण दिनांक 25.04.24 को अपने हिस्से की आराजी पर आगामी फसल की तैयारी हेतु जोत लगवा रहे थे तो अप्रार्थी सं. 1 अपने साथ 8–10 आदमियों को लेकर आया और आते ही प्रार्थीगण से कहने लगा कि तुम इस आराजी पर कैसे आये हो। मैने इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का विचार बना लिया है तथा उनसे सौदा भी कर लिया है, इसलिये तुम यहां से जाओ। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से कहा कि दादाजी, इस आराजी में हमारा भी हिस्सा है, आप हमारे हिस्से की भूमि को क्यों विक्रय कर रहे तो इस पर अप्रार्थी सं. 1 आग बबूला हो गया और कहने लगा कि आपका इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है, तुमको इस भूमि में से एक इंच जमीन नहीं मिलेगी। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी कुचेष्ठा में सफल हो गया तो प्रार्थी को को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। इस कारण प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी को अप्रार्थी सं. 1 उसके नाम हो रही गलत खातेदारी की आड में विवादित आराजी या उसके किसी भी भाग को किसी भी व्यक्ति को रहन बेचान नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावे, राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (दौसा)

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.05.24 जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 1587/698, 1589/702, 698/1407 के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के अधिकांश हिस्से को अस्वीकार करते हुए लिखा गया कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं. 1 की खरीद शुदा जमीन है जिसको अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.6.1987 को विक्रेता बद्री पुत्र फैली मीना निवासी ढिगारिया कपूर से खरीद कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त जमीन से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। जब प्रार्थीगण का उक्त जमीन से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उनके बर्बाद होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने समर्थन में यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण एवं इनके पिता ने अप्रार्थी सं. 1 को खाना पीना व इलाज नहीं कराया है एवं धारा 307 भा.द.सं. का मुकदमा चल रहा है, इसलिए पिता पुत्र पुत्र पौत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कोई भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, इसलिए उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को कभी भी अपना दादा नहीं माना और ना ही कभी सेवा की। अप्रार्थी सं. 1 ने जब से उक्त वादग्रस्त जमीन को खरीद की थी, तब से ही अकेला काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण से अलग निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त जमीन को हडप करने की नियत से गलत आधारों पर वाद किया है तथा उक्त जमीन को हडप करने की नीयत से अप्रार्थी के साथ गम्भीर मारपीट की है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रोस में 166/23, 165/23 बैजूपाडा थाने में दर्ज हुयी है। अगर प्रार्थीगण, अप्रार्थी को अपना दादा मानते हों तो ऐसी सँगीन मारपीट नहीं करते। केवल अप्रार्थी को उक्त जमीन से वंचित करने हेतु झूठा बनावटी वाद पेश किया है जिसका प्रार्थीगण को अधिकार कानून में नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित आराजी के 79/255 हिस्से के अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित आराजी बाबत, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए सजरा के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 ने कोई आपत्ति किसी प्रकार की प्रस्तुत नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। प्रार्थीगण, वाद पत्र के द्वारा विवादित आराजी में अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा विवादित आराजी को स्व अर्जित होना कथन किया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति किसी प्रकार की प्रस्तुत नहीं की है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिवीजन सं. 1825/2017 उनवान अंकिता वगै. बनाम ताराचंद वगै. में दिनांक 14.06.17 को पारित निर्णय में अभिधारित किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्रों को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते। इस निर्णय में अभिनिर्धारित सिध्दांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। इस कारण प्रकरण में विवादित आराजी के खातेदार रामकिशोर के जीवन काल में उसके पुत्र अमर सिंह के खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते और इसीलिये खातेदार रामकिशोर के पौत्र के भी रामकिशोर के जीवन काल में खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 1587/698, 1589/702 एवं 698/1407 के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.24 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)